

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 129]	नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 25, 2019/फाल्गुन 6, 1940
No. 129]	NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 25, 2019/ PHALGUNA 6, 1940

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2019

सा.का.नि. 145(अ).—उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए औद्योगिक उपक्रमों का पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग नियमावली, 1952 में आगे संशोधन करने के लिए, केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित कतिपय नियमों का निम्निलिखित प्रारूप, इससे प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों के सूचनार्थ, प्रकाशित किया जाता है जैसािक कथित धारा की उपधारा (1) में अपेक्षित है। यह नोटिस भी दिया जाता है कि भारत के राजपत्र जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित होती है, की प्रतियां जन-साधारण हेतु उपलब्ध कराने की तारीख से तीस दिन की अवधि पर अथवा इसकी समाप्ति के बाद उक्त प्रारूप पर विचार किया जायेगा:

आपित्तयां अथवा सुझाव, यदि कोई हों, सिचव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली 110011 को भेजे जा सकते हैं।

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से निर्धारित अवधि समाप्त होने से पहले प्राप्त अपत्तियों तथा सुझावों पर सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप औद्योगिक उपक्रम का पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग (संशोधन) नियमावली, 2019

- 1. **(1) लघु शीर्षक तथा लागू होना.**—इन नियमों को औद्योगिक उपक्रम का पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग (संशोधन) नियमावली, 2019 कहा जायेगा।
 - (2) वे सरकारी राजपत्र में अंतिम रूप से प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

1248 GI/2019 (1)

- 2. शब्द "उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)" अथवा "औद्योगिक विकास मंत्रालय," औद्योगिक उपक्रमों का पंजीकरण तथा लाइसेंसिंग नियमावली, 1952 में जहां कहीं भी विद्यमान हों, "वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग" शब्दों से प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- 3. औद्योगिक उपक्रमों का पंजीकरण तथा लाइसेंसिंग नियमावली, 1952 में नियम 10 में उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:
 - "(2) केंद्र सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से, निम्निलिखित से सम्बद्ध केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों अथवा विभागों के प्रतिनिधित्व हेतु सदस्यों की उस संख्या जो उसे उचित लगे, को शामिल करते हुए एक अथवा अधिक समितियों का गठन कर सकती है:"
 - क. औद्योगिक नीति तथा संवर्धन
 - ख. अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उद्योग
 - ग. गृह मामले
 - घ. वाणिज्य
 - ड कार्पोरेट मामले

केन्द्र सरकार उक्त समिति में, यदि उचित समझे, तो अन्य मंत्रालय अथवा विभाग के प्रतिनिधित्व के लिए अन्य सदस्य को शामिल कर सकती है।''

4. औद्योगिक उपक्रमों का पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग नियमावली, 1952 के नियम 15 के उप-नियम (1) में "3 माह" आंकड़ों और शब्दों के लिए एवं नियम 15 के उप-नियम (2) में, "तीन माह", शब्दों के लिए "पांच माह" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 7(1)/2012-आईपी भाग-II]

रविन्द्र, संयुक्त सचिव

विशेष: मूल नियम अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1141, दिनांक 9 जुलाई, 1952 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3 में प्रकाशित किए गए थे और निम्नलिखित अधिसूचनाओं के माध्यम से संशोधित किए गए थे:—

- 1. अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1856, दिनांक 1 अक्तूबर, 1953;
- 2. अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 691, दिनांक 1 मार्च, 1957;
- 3. अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1781, दिनांक 11 दिसम्बर, 1964;
- 4. अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 2187, दिनांक 6 दिसम्बर, 1968;
- 5. अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 270(अ), दिनांक 14 जून, 1974;
- 6. अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 274(अ), दिनांक 19 जून, 1974;
- 7. अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 284(अ), दिनांक 25 जून, 1974;
- 8. अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 369(अ), दिनांक 17 अगस्त, 1974;
- 9. अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 392(अ), दिनांक 17 सितम्बर, 1974;
- 10. अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 399(अ), दिनांक 23 सितम्बर, 1974;
- 11. अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 599(अ), दिनांक 15 नवम्बर, 1975;
- 12. अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 719(अ), दिनांक 26 सितम्बर, 1981;
- 13. अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 66(अ), दिनांक 14 फरवरी, 1984;
- 14. अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 100(अ), दिनांक 18 फरवरी, 1987;
- 15. अधिसूचना संख्या का.आ. 926(अ), दिनांक 3 दिसम्बर, 1993;
- 16. अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 740(अ), दिनांक 4 अक्तूबर, 2012;

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2019

G.S.R. 145(E).—The following draft of certain rules further to amend the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 30 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) are hereby published as required by sub-section (1) of the said section, for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Udyog Bhawan, New Delhi-110011;

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified, shall be considered by the Central Government.

Draft Registration and Licensing of Industrial Undertaking (Amendment) Rules, 2019

- 1. **(1) Short title and commencement.**—These rules may be called the Registration and Licensing of Industrial Undertaking (Amendment) Rules, 2019.
 - (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- 2. The words "Ministry of Industry (Department of Industrial Development)" or "Ministry of Industrial Development wherever they exist in Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952 shall be substituted with the words" Ministry of Commerce and Industry, Department for Promotion of Industry and Internal Trade ".
- 3. In the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952, in rule 10, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
 - "(2) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint one or more committees, consisting of such number of members as it may think fit to represent the Ministries or Departments of the Central Government dealing with,-
 - a. Industrial Policy and Promotion,
 - b. The Industry specified in the First Schedule to the Act,
 - c. Home Affairs,
 - d. Commerce:
 - e. Corporate Affairs:

Provided that the Central Government may, if it deems fit, include in such committee any other member to represent any other Ministry or Department."

4. In the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952, in sub-rule (1) of Rule 15 for the figure and words "3 months" and sub-rule (2) of Rule 15, for the words "three months", the word "five months" shall be substituted.

[F. No. 7(1)/2012-IP Vol-II]

RAVINDER, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published vide notification number S.R.O 1141, dated the 9th July, 1952 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, and were subsequentlyamended by:—

- 1. Notification No. S.R.O. 1856, dated the 1st October, 1953;
- 2. Notification No. S.R.O. 691, dated the 1st March, 1957;

- 3. Notification No. G.S.R. 1781, dated the 11th December, 1964;
- 4. Notification No. G.S.R. 2187, dated the 6th December, 1968;
- 5. Notification No. G.S.R. 270(E), dated the 14th June, 1974;
- 6. Notification No. G.S.R. 274(E), dated the 19th June, 1974;
- 7. Notification No. G.S.R. 284(E), dated the 25th June, 1974;
- 8. Notification No. G.S.R. 369(E), dated the 17th August, 1974;
- 9. Notification No. G.S.R. 392(E), dated the 17th September, 1974;
- 10. Notification No. G.S.R. 399(E), dated the 23rd September, 1974;
- 11. Notification No. G.S.R. 599(E), dated the 15th November, 1975;
- 12. Notification No. G.S.R. 719(E), dated the 26th September, 1981;
- 13. Notification No. G.S.R. 66(E), dated the 14th February, 1984;
- 14. Notification No. G.S.R. 100(E), dated the 18th February, 1987;
- 15. Notification No. S.O. 926(E), dated the 3rd December, 1993;
- 16. Notification No. G.S.R. 740(E), dated the 4th October, 2012;